न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 7/2014

अपीलांट

1. चम्पानाथ पुत्र श्री कुनाजी रावल, जाति नाथ
2. पोकरनाथ पुत्र रूपाजी रावल जाति नाथ
3. मृतक लक्ष्मणनाथ पुत्र मोडानाथजी, जाति नाथ के उतराधिकारीगण
   - 3/1 सुरेशनाथ पुत्र श्री लक्ष्मणनाथ जाति नाथ
   - 3/2 गिरधारीनाथ पुत्र श्री लक्ष्मणनाथ जाति नाथ
   - 3/3 प्रभुनाथ पुत्र श्री लक्ष्मणनाथ जाति नाथ
   - 3/4 मुकेशनाथ पुत्र श्री लक्ष्मणनाथ जाति नाथ
   - 3/5 भुण्डी देंवी पुत्री श्री लक्ष्मणनाथ जाति नाथ
   - 3/6 कमली बेवा लक्ष्मणनाथजी जाति नाथ
4. कैलाश नाथ पुत्र घीसनाथजी जाति नाथ
5. हरजीनाथ मांगीनाथजी जाति नाथ
6. मृतक जगनाथ पुत्र बींजानाथजी जाति नाथ के उतराधिकारीगण
   - 6/1 शिवनाथ पुत्र जगनाथजी जाति नाथ
   - 6/2 पारसनाथ पुत्र जगनाथजी जाति नाथ
   - 6/3 भंवरी पुत्री जगनाथ जी जाति नाथ
   - 6/4 टीपुदेवी बेवा जगनाथजी जाति नाथ
7. भीकी पत्नी भीमानाथ उर्फ मीठानाथ, जाति नाथ, तमाम निवासीगण करमावास पट्टा तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट

श्री मंदिर महादेव साकिन करमावास पट्टा जरिये महादेव स्थान विकास एंव सेवा समिति करमावास पट्टा सेवा समिति के पदाधिकारी

1. जीवनाराम पुत्र शिवनाथजी जाति देवासी निवासी करमावास पट्टा तहसील सोजत जिला पाली
2. मोतीलाल पुत्र पन्नालालजी जाति देवासी निवासी लिलाम्बा तहसील रायपुर जिला पाली
3. नारायणलाल पुत्र शिवराजजी जाति देवासी निवासी रूपावास तहसील सोजत जिला पाली
4. प्रदीप पुत्र मिश्रीलाल जाति देवासी निवासी चंडावल तहसील सोजत जिला पाली
5. मृतक मोहनलाल पुत्र घीसारामजी जाति मेघवाल निवासी करमावास पट्टा तहसील सोजत के उतराधिकारीगण –
   - 5/1 चेलाराम पुत्र मोहनलालजी
   - 5/2 बगदाराम पुत्र मोहनलालजी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

5/3 अशोक पुत्र मोहनलालजी जातिगण मेघवाल निवासीगण करमावास पट्टा तहसील सोजत जिला पाली

6. चन्दाराम पुत्र रामलालजी जाति प्रजापत निवासी करमावास पट्टा तहसील सोजत जिला पाली।
7. मृतक बादरराम पुत्र शिवनाथजी जाति देवसाी निवासी करमावास पट्टा तहसील सोजत के उतराधिकारीगण
   7/1 पूनाराम पुत्र बादरारामजी, जाति देवासी
   7/2 पेमाराम पुत्र बादररामजी जाति देवासी निवासीगण करनावास पट्टा तहसील सोजत जिला पाली
8. भूमिधारक तहसीलदार सोजत तहसील सोजत जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 14.06.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 45/2010 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 ने अपीलांटगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1, 2, 3, 6 लगाय 10, 12 लगाय 28, 37, 429, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 कुल रकबा 17.9000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 83, 384, 385, 415, 1215, 1220 कुल रकबा 0.3100 हैक्टर मौजा करमावास तहसील सोजत के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने बाबत निवेदन किया। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 ने अपीलांट की डोली बनाम मंदिर महादेव वाके सा.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

देह की खुदकाश्त की खातेदारी भूमि को हडपने की नीयत से ग्राम करमावास के तालाब की पाल पर स्थित दीगर महादेवजी का मंदिर जो कि ग्रामवासी करमावास द्वारा सेटलमेंट के पश्चात यानि करीब 40 वर्ष पूर्व निर्मित महादेवजी के मंदिर के रख–रखाव पूजा अर्चना करने बाबत फर्जी तरीके से सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया गया जिसके रजिस्टर्ड संख्या 66/2009 है एंव उक्त रजिस्ट्रेशन संस्था के बहाने निवास एवं वास की भूमि को हडपने की नीयत से उक्त आराजी महादेवजी की न होते हुए महोदवजी के नाम से सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। जबकि उक्त करमावास के तालाब की पाल स्थित महोदवजी के मंदिर के अधीन किसी प्रकार की कोई डोली मंदिर महोदवजी की खातेदारी कृषि भूमि न थी, न रही, न ही आज है। अपीलांटगण का काश्तकारी अधिनियम 1995 फोर्स में आने के पूर्व से लेकर आज दिन तक बहैसियत खातेदार खुदकाश्त की पुजारी मंदिर श्री महादेव जी के स्थिति की हैसियत से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांटगण खाता संख्या 191 में वर्णित आराजी से होने वाली आय से महादेवजी की सेवा पूजा वगैरह बिना किसी व्यवधान के रूपये खर्च करते है। तथा उक्त मंदिर का निर्माण, मरम्मत वगैरह करवाते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पूर्व अपीलांट संख्या 3/1 से 3/6 का पूर्वज लक्ष्मानाथजी दिनांक 02.04.2011 को अपीलांट संख्या 6/1 से 6/4 का पूर्वज जगनाथजी दिनांक 17.05.2012 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 से 5/3 का पूर्वज मोहनलालजी दिनांक 29.10.2009 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7/1 व 7/2 का पूर्वज बादरराम दिनांक 26.02.2011 को फौत हो चुके थे। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मृतको के कायम मुकाम की कार्यवाही किये मृतक अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध जैर अपील आदेश जैर अपील रिसीवर नियुक्ति वगैरह का आदेश पारित किया है जो कि कानूनन मृत व्यक्ति की ओर से मृत व्यक्ति के विरूद्ध सादिर आदेश नलिटी एवं Void Ab-intio होता है। इस संबध मे लक्ष्मणनाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 02.04.2011 एवं जगनाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.05.2012 की नकल हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 212 आर.टी.ए 1955 में अपीलांट की वादग्रस्त आराजी बाबत न तो तहसीलदार सोजत को रिसीवर नियुक्ति बाबत दादरसी थी एवं न ही देवस्थान विभाग में प्रबंध व्यवस्था हेतु कमेटी का गठन बाबत दादरसी थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा Pleading से परे जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट खतौनी संख्या 191 में वर्णित आराजी संवत 2010 से पूर्वजो के समय से आदिनांक तक उक्त आराजी में निर्मित 100 वर्षो पुराने महादेवजी के मंदिर की पूजा अर्चना निर्माण मरम्मत वगैरह बतौर पुजारी करते रहे है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट एवं अपीलांटगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 की Pleading से परे जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 ने अपीलांटगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खसरा नंबर 1, 2, 3, 6 लगाय 10, 12 लगाय 28, 37, 429, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 कुल रकबा 17.9000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 83, 384, 385, 415, 1215, 1220 कुल रकबा 0.3100 हैक्टर मौजा करमावास तहसील सोजत के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने बाबत निवेदन किया। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री महादेव मंदिर करमावास की खातेदारी है। मंदिर की देखरेख व जमीन को सुचारू रूप से उपयोग उपभोग करने हेतु एवं उस आय से मंदिर का संचालन व मंदिर द्वारा चलाई जा रही धार्मिक कार्यो का संचालन सही रूप से हो सके उस हेतु श्री महदेव जी का स्थान एवं सेवा समिति करमावास पट्टा का गठन किया, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 66/09 है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 संस्थान का सदस्य है। एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण संस्थान के सदस्य है। अपीलांटगण एक गिरोह बनाकर मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण करने पर उतारू होने पर रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 लगायत 07 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 ने अपीलांटगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1, 2, 3, 6 लगाय 10, 12 लगाय 28, 37, 429, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 कुल रकबा 17.9000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 83, 384, 385, 415, 1215, 1220 कुल रकबा 0.3100 हैक्टर मौजा करमावास तहसील सोजत के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने बाबत निवेदन किया। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 17.12.2013 को पारित किया गया है। जबकि हस्तगत प्रकरण में जैर अपील आदेश से पूर्व अपीलांट संख्या 3/1 से 3/6 का पूर्वज लक्ष्मानाथजी दिनांक 02.04.2011 को अपीलांट संख्या 6/1 से 6/4 का पूर्वज जगनाथजी दिनांक 17.05.2012 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 से 5/3 का पूर्वज मोहनलालजी दिनांक 29.10.2009 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7/1 व 7/2 का पूर्वज बादरराम दिनांक 26.02.2011 को फौत हो चुके थे। इस संबध मे अपीलांट ने लक्ष्मणनाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 02.04.2011 एवं जगनाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.05.2012 की नकले हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मृतको के कायम मुकाम की कार्यवाही किये मृतक अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध जैर अपील आदेश जैर अपील रिसीवर नियुक्ति वगैरह का आदेश पारित किया है जो कि कानूनन मृत व्यक्ति की ओर से मृत व्यक्ति के विरूद्ध सादिर आदेश नलिटी एवं Void Ab-intio होता है। इस सबंध में आर.आर.डी 1992 पेज नंबर 634 में यह प्रतिपादित किया है कि "

Civil of Civil Procedure, Order 22 Rule 4- An order passed against a dead person is a nullity and illegal. (Para 8) इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के संबध में तहसीलदार सोजत को रिसीवर नियुक्ति बाबत एवं देवस्थान विभाग में प्रबंध व्यवस्था हेतु कमेटी गठन बाबत कोई इस्तदुआ नहीं थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 की Pleading से परे जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। इस सबंध में आर.आर.डी 1995 पेज नंबर 499 में यह प्रतिपादित किया है कि "Code of Civil Procedure, Section 10- No relief can be given without asking for in the pleadings. (Para 10) उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक कानूनी बिन्दुओ का ध्यान में न रखते हुए बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो हाजा न्यायालय की राय मे उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 45/2010 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2013 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली